गोविन्द गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय,बाँसवाड़ा

माहीडेम रोड़, बड़वी

E-mail : registrar@gmail.com

क्रमांक :एफ ()गोगुजवि/बांस./2024/451 दिनांक : 01/01/2024

अधिसूचना–01

माननीय कुलपति महोदय के निर्देशानुसार विश्वविद्यालय शोध अनुभाग में **शोध पर्यवेक्षक** हेतु विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त समस्त राजकीय एवं निजी महाविद्यालय के स्थाई संकाय सदस्यों से (विश्वविद्यालय अनुदान आयोग 2022 नियमानुसार) आवेदन आमंत्रित किए जाते है।

संलग्न आवेदन–पत्र को समस्त आवश्यक दस्तावेजों एवं 100/– के स्टॉम्प पर Undertaking महाविद्यालय के प्राचार्य महोदय के मय सील हस्ताक्षर के साथ दिनांक 15 जनवरी, 2024 तक शोध अनुभाग में व्यक्तिशः उपस्थित हो कर जमा करावे।

निदेशक शोध
निदेशक शोध
गोविन्द गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय
बांसवाड़ा (राज.)

प्रतिलिपि सूचनार्थ :–

1. कुल सचिव, गोगुजवि, बॉसवाड़ा।
2. निजी सचिव, माननीय कुलपति महोदय, गोगुजवि, बॉसवाड़ा।
3. प्राचार्य, समस्त राजकीय एवं निजी महाविद्यालय, बॉसवाड़ा/डूँगरपूर/प्रतापगढ़।
4. रक्षित पत्रावली।

निदेशक शोध
निदेशक शोध
गोविन्द गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय
बांसवाड़ा (राज.)

GOVIND GURU TRIBAL UNIVERSITY, BANSWARA (RAJASTHAN)

APPLICATION FORM FOR REGISTRATION AS RESEARCH SUPERVISOR

APPENDIX I

(Reference Ord. 101.3.B)

1. **Name of the Applicant (Women must write Ms. before their name)**

   In English (Capital Letters).....

   In Hindi.....

2. **Father's Name**.....**Mother's Name**.....

3. **Male/Female**.....**Category-SC/ST/GEN/OBC**.....

4. **Address**.....

   .....

5. **Telephone Nos.: Basic**.....**Mobile**.....

6. **E-mail ID**.....

7. **Present Place of Posting**.....

8. **Natureof Appointment: Permanent**.....

9. **Details of Doctoral Degree**: Topic.....

   .....

   Year of ward.....Name of University.....

   Subject.....Faculty.....

10. **Details of Subject in which wish to supervise Research:**

    Basic Subject.....

    Allied Subjects in the Same Faculty:.....

    Allied Subjects in any Other Faculty:.....

    Other Field of Interest:.....

11. **Teaching Experience of Post-Graduate classes (details thereof be given hereunder):**

Name of College/Deptt.	Subject	Title of Paper taught	Period giving exact date, month year from.....to.....

12. Research Experience as Research Supervisor (if any).

Name of University	Period From.....to	Subject	Faculty	No. of Ph.D. awarded	No. of Res. Scholars Presently perusing research

13. Brief summary of Research Activities:

a. Major Project Undertaken:

Title of the Project	Finding Agency	Cost of Project	Period of Project

b. Minor Research ProjectUndertaken:

Title of the Project	Finding Agency	Cost of Project	Period of Project

c. Research Papers published in Refereed Reputed Journals.(Copies enclosed)

Title of Research Article	Name of Journal National/International	Year	Volume No./Edition.

d. Participation in Conferences in the area of Research work concerned (Certificate(s) enclosed)

Name of the Conference and Venue	Status: National/International	Date of Participation	Attach copy of Paper and Certificate

14. Details of Infrastructure available for research in the Department/College:.....

.....

15. Research Areas available for prospective research scholars:.....

.....

Declaration / Undertaking

I. The information furnished in this form are true and correct to the best of my knowledge and if found incorrect at any time I shall bear the consequences what so ever be.

II. I shall abide by the rules and directions and orders of the University faithfully, if I am registered as Research Supervisor failing which I shall be liable to the disciplinary action against me including cancellation of Research Supervisorship.

III. I shall conduct Research Supervisor role according to UGC-2022 Rules and Regulations.

List of Enclosures:

1. Mock Synopsis

2.

3.

Date: **Signature of the Applicant**

No..... **Date:**

Forwarded to the Director Research GGT University Banswara for necessary action. I have verified the above details and I am satisfied about their correctness. It is assured that as Head of the Department /Principal of the College / Director of Institute shall abide by the rules, directions and orders of the University.

Signature with seal :-

Head of the University Department **Principal** **Director**

रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-07112022-240086
CG-DL-E-07112022-240086

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 544] नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 7, 2022/ कार्तिक 16, 1944
No. 544] NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 7, 2022/ KARTIKA 16, 1944

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 नवम्बर, 2022

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (पीएच.डी. उपाधि प्रदान करने हेतु न्यूनतम मानदण्ड और प्रक्रिया) विनियम, 2022

क्रम सं० 1 3/2021 (क्यूआईपी).—विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 (1956 का 3) की धारा 26 की उप-धारा (1) के अनुच्छेद (च) एवं (छ) के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए और यूजीसी (एम.फिल. /पीएच.डी. उपाधि प्रदान करने हेतु न्यूनतम मानदण्ड और प्रक्रिया) विनियम, 2016 और इसके संशोधनों के प्रतिस्थापन में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एतद्द्वारा निम्नवत विनियम बनाता है, नामतः —

1. **लघु शीर्ष, अनुप्रयोग एवं प्रवर्तन**—

(1) इन विनियमों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (पीएच.डी. उपाधि प्रदान करने हेतु न्यूनतम मानदण्ड और प्रक्रिया) विनियम, 2022 कहा जाएगा।

(2) ये विनियम, ऐसे प्रत्येक विश्वविद्यालय पर लागू होंगे जो किसी केन्द्रीय अधिनियम, प्रांतीय अधिनियम अथवा राज्य अधिनियम के तहत स्थापित अथवा निगमित है, तथा ऐसा प्रत्येक महाविद्यालय जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत मानित विश्वविद्यालय संस्थान हैं।

(3) ये विनियम भारत के राजपत्र में अधिसूचित किए जाने की तिथि से लागू माने जाएंगे।

2. **परिभाषाएं**—

(1) इन विनियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, —

क) "अधिनियम" का अर्थ विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 (1956 का 3) है;

ख) अनुबंधक संकाय" का अर्थ है एक अंशकालिक या आकस्मिक प्रशिक्षक, लेकिन पूर्णकालिक संकाय सदस्य नहीं, जो एक उच्चतर शिक्षण संस्थान द्वारा पढ़ाने के लिए नियुक्त किया गया

5. प्रवेश की प्रक्रिया–

(1) प्रवेश, यूजीसी और अन्य संबंधित वैधानिक/नियामक निकायों द्वारा जारी किए गए दिशा–निर्देशों/मानदंडों को ध्यान में रखते हुए, और केंद्र/राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किए गए आरक्षण नीति का पालन करते हुए, संस्थान द्वारा अधिसूचित मानदंडों पर आधारित होगा।

(2) पीएच.डी. कार्यक्रम में प्रवेश निम्नलिखित विधियों का उपयोग करके किया जा सकता है:

(क) उच्चतर शिक्षण संस्थान एक साक्षात्कार के आधार पर यूजीसी–नेट/यूजीसी–सीएसआईआर नेट/गेट/सीईईडी और इसी तरह के राष्ट्रीय स्तर के परीक्षाओं में अध्येतावृत्ति/छात्रवृत्ति के लिए अर्हता प्राप्त करने वाले छात्रों को प्रवेश दे सकते हैं।

और/या

(ख) उच्चतर शिक्षण संस्थान अपने स्तर पर आयोजित प्रवेश परीक्षा के माध्यम से छात्रों को प्रवेश दे सकते हैं। प्रवेश परीक्षा में 50: प्रश्न शोध पद्धति तथा 50: विशिष्ट विषय के पूछे जाएंगे।

(ग) प्रवेश परीक्षा में 50: अंक अर्जित करने वाले अभ्यर्थी साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने के पात्र होंगे।

(घ) आयोग द्वारा समय–समय पर लिए गए निर्णय के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/दिव्यांग वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ई.डब्ल्यू.एस) और अन्य श्रेणियों के उम्मीदवारों के लिए प्रवेश परीक्षा में 5: अंकों की छूट की अनुमति दी जाएगी।

(ड) उच्चतर शिक्षण संस्थान उपलब्ध पीएच.डी सीटों की संख्या के आधार पर साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने वाले पात्र छात्रों की संख्या तय कर सकते हैं।

(च) बशर्ते कि, उच्चतर शिक्षण संस्थान द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा के आधार पर उम्मीदवारों के चयन के लिए, प्रवेश परीक्षा के लिए 70: और साक्षात्कार/मौखिक परीक्षा में प्रदर्शन के लिए 30: का महत्व दिया जाएगा।

(3) विश्वविद्यालय और महाविद्यालय जो पीएच.डी. कार्यक्रम चलाने के पात्र है, वे:

i. दाखिले हेतु सीटों की संख्या, उपलब्ध सीटों का विषय/विषय–वार संवितरण, दाखिले का मानदंड, दाखिले की प्रक्रिया और अभ्यर्थियों के लिए अन्य सभी संगत जानकारी को निर्दिष्ट करते हुए संस्थान की वेबसाइट पर एक विवरण–पुस्तिका को पहले से ही सूचित करेंगे;

ii. राष्ट्रीय/राज्य स्तरीय आरक्षण नीति का यथास्थिति अनुपालन करें।

(4) उच्चतर शिक्षण संस्थान पीएच.डी. पर्यवेक्षकों की एक सूची का रख–रखाव (पर्यवेक्षक का नाम, उसका पदनाम और विभाग/स्कूल/केंद्र निर्दिष्ट करते हुए), पीएच.डी. के लिए पंजीकृत छात्रों के विवरण के साथ (पंजीकृत पीएच.डी. छात्र का नाम, उनके शोध का विषय और दाखिले की तारीख का उल्लेख करते हुए) अपने वेबसाइट पर अपलोड करेंगे और हर शैक्षणिक वर्ष में इस सूची को अद्यतन करेंगें।

6. शोध पर्यवेक्षक का निर्धारण–शोध पर्यवेक्षक, सह–पर्यवेक्षक बनने हेतु पात्रता मानदण्ड, प्रति पर्यवेक्षक के लिए अनुमेय पीएच.डी. शोधार्थियों की संख्या, आदि।

(1) उच्चतर शिक्षण संस्थान के प्रोफेसर/एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में काम करने वाले स्थायी संकाय सदस्य जिन्होने पीएच.डी. प्राप्त करने के साथ पीयर–रिव्यू या संदर्भित पत्रिकाओं में कम से कम पांच शोध प्रकाशित किए हैं और उच्चतर शिक्षण संस्थानों में सहायक प्रोफेसर के रूप में काम करने वाले स्थायी संकाय सदस्य जो पीएच.डी. उपाधि धारक हो तथा जिसके द्वारा पीयर–रिव्यू या संदर्भित पत्रिकाओं में कम से कम तीन शोध प्रकाशन प्रकाशित किए गए हों उन्हें वि"वविद्यालय अथवा इसके संबद्ध स्नातकोत्तर महाविद्यालयों/संस्थानों में शोध पर्यवेक्षक के रूप में मान्यता दी जा सकती है जहां वे कार्यरत है। ऐसे मान्यता प्राप्त शोध पर्यवेक्षक अन्य संस्थानों में शोधार्थियों के पर्यवेक्षक नहीं हों सकते हैं, पर वहां वे केवल सह–पर्यवेक्षक के रूप में कार्य कर सकते हैं। अगर पीएच.डी. की एक उपाधि एक विश्वविद्यालय द्वारा एक ऐसे संकाय सदस्य की देखरेख में प्रदान की जाती है जो उस विश्वविद्यालय या उसके संबद्ध स्नातकोत्तर महाविद्यालयों/संस्थानों का कर्मचारी नहीं है, तो इसे इन विनियमों का उल्लंघन माना जाएगा।

केंद्र सरकार/राज्य सरकार के अनुसंधान संस्थानों में कार्यरत पीएच.डी. शोधार्थी जिनकी डिग्री उच्चतर शिक्षण संस्थानों द्वारा दी जाती है, ऐसे शोध संस्थानों के वैज्ञानिक जो प्रोफेसर/एसोसिएट प्रोफेसर/सहायक प्रोफेसर के समकक्ष हैं, उन्हें पर्यवेक्षक के रूप में मान्यता दी जा सकती है यदि वे उपरोक्त आवश्यक मापदंड को पूरा करते हैं।

बशर्ते कि उन क्षेत्रों/विषयों में जहां कोई पीयर–रिव्यू या संदर्भित पत्रिकाएँ नहीं है, या केवल सीमित संख्या में हैं, उच्चतर शिक्षण संस्थान लिखित रूप में उचित कारण दर्ज करते हुए शोध पर्यवेक्षक के रूप में किसी व्यक्ति की मान्यता के लिए उपरोक्त शर्त में छूट दे सकता है।

एक ही विभाग या एक ही संस्थान के अन्य विभागों या अन्य संस्थानों के सह–पर्यवेक्षकों को सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से अनुमति दी जा सकती है।

अनुबंध संकाय सदस्य (एडजंक्ट फैकल्टी) शोध पर्यवेक्षक नहीं हो सकते, वे केवल सह–पर्यवेक्षक के रूप में कार्य कर सकते हैं।

(2) अंतर्विषयक/बहुविषयक अनुसंधान कार्य के मामले में, यदि आवश्यक हो, विभाग/स्कूल/केंद्र/महाविद्यालय/विश्वविद्यालय के बाहर से एक सह–पर्यवेक्षक नियुक्त किया जा सकता है।

(3) किसी एक समय में एक पात्र प्रोफेसर/एसोसिएट प्रोफेसर/सहायक प्रोफेसर क्रमशः आठ (8)/छह (6)/चार (4) पीएच.डी. छात्रों का मार्गदर्शन कर सकते है।

(4) विवाह अथवा अन्यथा किसी कारण से किसी पीएच.डी.महिला शोधार्थी के अन्यत्र चले जाने पर, शोध आंकड़ों को ऐसे उच्चतर शिक्षण संस्थान को अंतरित करने की अनुमति होगी जहाँ शोधार्थी पुनः जाना चाहे बशर्ते कि इन विनियमों के अन्य सभी निबंधन और शर्तों का शब्दशः पालन किया जाए तथा शोध किसी मूल संस्थान/पर्यवेक्षक द्वारा किसी वित्त पोषण एजेंसी से प्राप्त न किया गया हो। तथापि, शोधार्थी मूल संस्थान के मार्गदर्शन तथा संस्थान के पूर्व में किए गए शोध कार्य के लिए उसे पूर्ण श्रेय देगा।

(5) ऐसे संकाय सदस्य जिनकी सेवानिवृत्ति को तीन वर्ष से कम की अवधि बची है उन्हें अपने पर्यवेक्षण में नए शोधार्थियों को लेने की अनुमति नहीं होगी। बशर्ते कि, हालाँकि, ऐसे संकाय अपनी सेवानिवृत्ति तक पहले से ही पंजीकृत शोधार्थियों का पर्यवेक्षण जारी रख सकते हैं और सेवानिवृत्ति के पश्चात् सह–पर्यवेक्षक के रूप में 70 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक ही कार्य कर सकते है उसके बाद नहीं।

7. अंतर्राष्ट्रीय छात्रों का पीएच.डी. कार्यक्रमों में प्रवेश –

(1) प्रत्येक पर्यवेक्षक पीएच.डी. शोधार्थियों की अनुमति संख्या के ऊपर दो अंतर्राष्ट्रीय शोधार्थियों को एक अतिरिक्त आधार पर मार्गदर्शन कर सकता है, जैसा कि ऊपर खंड 6.3 में निर्दिष्ट है।

(2) उच्चतर शिक्षण संस्थान संबंधित सांविधिक/नियामक निकायों द्वारा समय–समय पर जारी दिशा–निर्देशों/मानदंडों को ध्यान में रखते हुए अंतर्राष्ट्रीय छात्रों का पीएच.डी. में दाखिले के लिए अपनी चयन प्रक्रिया स्वयं तय कर सकते हैं।

8. किसी भी समय, पीएच.डी. छात्रों की कुल संख्या, एक संकाय सदस्य के अधीन या तो पर्यवेक्षक या सह–पर्यवेक्षक के रूप में छात्रों की संख्या खंड 6.3 और खंड 7.1 में निर्धारित संख्या से अधिक नहीं होगी।

9. कोर्स वर्क– क्रेडिट आवश्यकताएं, संख्या, अवधि, पाठ्यक्रम, पूरा करने के लिए न्यूनतम मानदण्ड आदि।

(1) पीएच.डी. कोर्स वर्क के लिए कम से कम 12 क्रेडिट की आवश्यकता होगी, जिसमें "शोध और प्रकाशन नैतिकता" कोर्स, जैसा कि यूजीसी द्वारा डी.ओ. मि० सं० 1–1/2018 (जर्नल/केयर) 2019 में अधिसूचित है और जिसमें एक शोध पद्धति पाठ्यक्रम शामिल है। शोध सलाहकार समिति पीएच.डी. कार्यक्रम के लिए क्रेडिट आवश्यकताओं के हिस्से के रूप में यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त ऑनलाइन पाठ्यक्रमों की सिफारिश भी कर सकती हैं।

(2) सभी पीएच.डी. शोधार्थी को अपने डॉक्टरेट अवधि के दौरान अध्ययन के विषय की परवाह किए बिना अपने चुने हुए पीएच.डी. विषय से संबंधित शिक्षण/शिक्षा/शिक्षाशास्त्र/लेखन में प्रशिक्षण प्राप्त करने होंगे। पीएच.डी. शोधार्थियों को ट्यूटोरियल या प्रयोगशाला कार्य और मूल्यांकन के संचालन के लिए प्रति सप्ताह 4–6 घंटे शिक्षण/शोध सहायक के कार्य भी सौंपे जा सकते है।

(3) एक पीएच.डी. शोधार्थी को पीएच.डी. कार्यक्रम को जारी रखने और अपनी शोध प्रबंधन (थीसिस) जमा करने हेतु पात्र होने के लिए न्यूनतम 55: अंक या यूजीसी 10–पॉइंट स्केल में इसके समकक्ष ग्रेड प्राप्त करना होगा।